तीसरे देशों में सहयोग के लिए साझेदारी पर मंशा वक्तव्य

भारत सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय (एम ई ए) द्वारा किया गया है और ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम की सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी एफ आई डी) द्वारा किया गया है, इसके बाद यहां आगे प्रतिभागी कहा गया है, एततद्वारा विकासशील देशों के साथ त्रिपक्षीय सहयोग के अपने प्रयास में यह मंशा वक्तव्य जारी करते हैं।

कार्यक्षेत्र एवं प्रयोजन

इस वक्तव्य का प्रयोजन निर्धारित किए जाने वाले अनेक क्षेत्रों में विकासशील देशों के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सामना करने में उनकी मदद करने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करना है।

सहयोगात्मक गतिविधियां

यह स्वीकार करते हुए कि भारत - यूके हितों के अनेक क्षेत्रों में साझी संस्कृति, मूल्यों एवं सामरिक हितों के आधार पर मजबूत, व्यापक और गहन संबंध का निर्माण करने से क्षेत्रीय एवं वैश्विक समृद्धि में काफी योगदान प्राप्त होगा, भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम सरकार विकासशील देशों की विकास संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए साथ मिलकर काम करने का इरादा करती हैं।

भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां

विदेश मंत्रालय तथा डी एफ आई डी इस वक्तव्य के तहत गतिविधियों की पहचान करने और परस्पर मदद करने, पूर्णत: मांग पर आधारित ढंग से तीसरे देशों के प्रतिभागियों के साथ घनिष्ठता से समन्वय स्थापित करने के लिए साथ मिलकर काम करने का इरादा व्यक्त करते हैं।

क्षमता निर्माण के विशिष्ट कार्यक्रमों के वित्त पोषण के कार्य क्षेत्र एवं तौर-तरीकों पर अलग से विदेश मंत्रालय तथा डी एफ आई डी द्वारा परस्पर सहमति व्यक्त की जाएगी।

सामान्य प्रावधान

यह वक्तव्य निधियों के लिए बाध्यता व्यक्त नहीं करता है अथवा एक सरकार से दूसरी सरकार या तीसरे पक्षकारों के घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी बाध्यता, प्रतिबद्धता या अधिकारों के लिए प्रावधान नहीं करता है या उनको जन्म नहीं देता है। इस वक्तव्य के तहत अनुमानित प्रयास स्टाफ, संसाधनों, निधियों तथा अन्य संगत करारों की उपलब्धता के अधीन हैं। इस वक्तव्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उद्देश्य किसी रूप में किसी करार या संविदा का अधिक्रमण करना या उसमें दखल देना है जो इस करार पर हस्ताक्षर होने से पहले या इसके बाद प्रतिभागियों द्वारा किए गए हैं।

विदेश मंत्रालय तथा डी एफ आई डी की सहमति से लिखित रूप में इस वक्तव्य को संशोधित किया जा सकता है। कोई भी प्रतिभागी लिखित रूप में दूसरे प्रतिभागी को अधिसूचित करके अपनी प्रतिभागिता समाप्त कर सकता है और उसे कम से कम 30 दिन का नोटिस प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।

यह वक्तव्य हस्ताक्षर होने पर प्रभावी हो गया है तथा 10 नवंबर, 2020 तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे पहले समाप्त नहीं किया जाता है, जैसा कि ऊपर प्रावधान किया गया है। प्रतिभागियों की लिखित रूप में परस्पर सहमति से इस वक्तव्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

भारत सरकार

हस्ता/-
नाम : अरूण कुमार साहू
पदनाम : संयुक्त सचिव
विकास साझेदारी प्रशासन
विदेश मंत्रालय

दिनांक 10 नवंबर, 2015

यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड की सरकार

हस्ता/-
नाम : एलन रेटन

पदनाम : प्रमुख **डी एफ आई डी भारत**
अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग

दिनांक 10 नवंबर, 2015